# भ्रष्टाचार की रोकथाम

टी एस कृष्णमूर्ति

**भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है, जो समाज को बर्बाद कर देती है। काम के बारे में जानकारी का अभाव, अक्षमता, ड्यूटी में लापरवाही, पक्षपात, जाति और समुदाय की भावना, भर्ती का खराब सिस्टम आदि भी भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी की मुख्य वजहें हैं। इस समस्या से निपटने के लिए तत्काल सख्त कदम उठाने की जरूरत है। विकासशील लोकतांत्रिक देशों में गरीबी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, आधारभूत संरचना की कमी आदि समस्याएं दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी फंड आवंटित किए जाते हैं और इससे राजनेताओं और नौकरशाहों के लिए भ्रष्टाचार में शामिल होने का अवसर मिलता है।**

"भारत एक समृद्ध देश है, लेकिन यहां के लोग गरीब हैं।" देश के मशहूर वकील और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले शख्स नानी पालकीवाली ने कभी भारत के बारे में यह बात कही थी। विडंबना यह है कि उनके ये शब्द आज भी प्रासंगिक नजर आते हैं। भारत ने बेशक आर्थिक मोर्चे पर कई उपलब्धियां हासिल की हों, लेकिन इस सच को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी मुख्य वजह है कि हम पूरी तरह से गरीबी खत्म करने और प्रभावकारी तरीके से भ्रष्टाचार से निपटने में असफल रहे हैं।

भारत में भ्रष्टाचार की समस्या विकराल है। इसके कई कारण हैं। सरकार की विकास संबंधी गतिविधियों के कारण भारत जैसे विकासशील लोकतंत्र में भ्रष्टाचार पनपने का मौका मिलता है। किसी भी सरकार के कामकाज का प्रदर्शन उसके संस्थानों द्वारा लिए गए फैसलों और संस्थानों को चलाने वाले लोगों से तय होता है। बेहतर शासन प्रणाली के संचालन के लिए सरकार में खुलापन, जवाबदेही, आसानी से उपलब्धता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, निष्पक्षता, सक्रियता जैसी खूबियों का होना जरूरी है। अगर सरकार निष्पक्ष, संवेदनशील और पारदर्शी नहीं है, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। दुर्भाग्य से, भारत में भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली का रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट में "शासन प्रणाली में शुचिता" शीर्षक से भ्रष्टाचार को लेकर अहम बातें कही गई हैं। इसके मुताबिक, भ्रष्टाचार के मामले, समाज में शुचिता और मूल्यों में गिरावट का नतीजा हैं। लिहाजा, इस टिप्पणी से यह माना जा सकता है कि जब तक बेहतर मूल्यों का विकास नहीं होता है, तब तक शासन-प्रशासन में लोगों के आचरण में सुधार लाना मुश्किल है। आम तौर पर भ्रष्टाचार से आशय निजी लाभ के लिए सार्वजनिक

लेखक सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी तथा भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ईमेल : krishnamurthy.ts@gmail.com

व्यवस्था का गलत इस्तेमाल होता है। यह दुरुपयोग राजनीतिक या प्रशासनिक, दोनों स्तरों पर हो सकता है। इस लेख में सिर्फ नौकरशाही और इससे जुड़ी अन्य सरकारी सेवाओं में मौजूद भ्रष्टाचार पर चर्चा की जाएगी। हालांकि, किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार ही सभी तरह के भ्रष्टाचार की जननी होती है।

विकासशील लोकतांत्रिक देशों में सरकार गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचनाओं की समस्या दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर खर्च का प्रावधान करती है। इस तरह, नेताओं और नौकरशाहों को भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है। लोगों को बेहतर शासन उपलब्ध कराने में कार्यपालिका के असफल होने की मुख्य वजह सामंती रवैया और सरकारी सिस्टम के नियम-कानूनों की जटिलता है। एडवर्ड लूस ने अपनी किताब "इनस्पाइट ऑफ गॉड्स (पेज 100-101)" में इसे सटीक तरीके से बयां किया है:

*"नई दिल्ली स्थित मंत्रालयों के शानदार गलियारों से लेकर दूर-दूराज के ग्रामीण मैजिस्ट्रेट के कोर्ट तक, भारत के सरकारी दफ्तर और कोर्टरूम में कुछ बेहद आम गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ये गतिविधियां एक शासन व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती हैं जो आपकी जिंदगी का अटूट हिस्सा है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर यह व्यवस्था आपके काम नहीं आती। अगर आप सत्ता के गलियारों में झांकते हुए भारत की आर्थिक स्थिति का जायजा लेंगे, तो आपके लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि यह देश सॉफ्टवेयर क्रांति के दौर से गुजरा है। दफ्तरों में आपको कंप्यूटर के बदले बड़ी संख्या में लोग कागज और फाइलें ढोते नजर आएंगे। वैक्यूम क्लीनर मशीन के बदले सफाईकर्मी झाड़ू लगाते दिखेंगे। अगर आप मिलने का समय मांगेंगे, तो आपसे कहा जाएगा: 'आ जाइए'। समय पूछे जाने पर कहा जाएगा कि आप कभी भी आ जाइए। वेटिंग रूम के बजाय लोग गलियारों और आसपास की जगहों में खड़े और धक्का-मुक्की करते दिखेंगे। सभी उस पल के इंतजार में रहते हैं, जब उस वीआईपी शख्सियत से मुलाकात हो जाए, जिनके एक शब्द या हस्ताक्षर से वह समस्या दूर हो जाए जिसके लिए आपको कई रातों को नींद नहीं आई या हजारों फोन कॉल करने पड़े। इनका व्यवहार जनता के सेवक जैसा नहीं बल्कि मालिक सरीखा है।"*

*- इनस्पाइट ऑफ द गॉड्स,*
एडवर्ड लूस, लिटिल ब्राउन, 2006

देश में भ्रष्टाचार फलने-फूलने की दूसरी वजह शासन व्यवस्था की केंद्रीकृत प्रणाली है। केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर यह समस्या देखने को मिलती है। दरअसल, पुरानी और काफी हद तक अप्रासंगिक हो चुकी यह प्रशासनिक प्रणाली औपनिवेशिक शासन से प्रेरित है। हमारा नेतृत्व अब तक नई प्रशासनिक प्रणाली सुनिश्चित नहीं कर पाया है। अत:, नियमों की समीक्षा कर उसे आसान बनाने की जरूरत है, ताकि बेहतर निगरानी व्यवस्था के साथ फैसले लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हो सके।

जब सरकार लोगों की शिकायतों के प्रति असंवेदनशील हो जाती है, तो खराब शासन व्यवस्था के प्रति लोगों का गुस्सा फूटता है। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पैदा हुई समस्याओं से निपटने में सरकार के नाकाम रहने पर अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। हम एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व के

**किसी भी सरकार के कामकाज का प्रदर्शन उसके संस्थानों द्वारा लिए गए फैसलों और संस्थानों को चलाने वाले लोगों से तय होता है। बेहतर शासन प्रणाली के संचालन के लिए सरकार में खुलापन, जवाबदेही, आसानी से उपलब्धता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, निष्पक्षता, सक्रियता जैसी खूबियों का होना जरूरी है।**

कई विकासशील देशों में एक तरह का पैटर्न देख सकते हैं। शासन प्रणाली के मोर्चे पर सरकार का प्रदर्शन ठीक नहीं रहने पर बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल सकता है और यह लोगों और सरकार के बीच हिंसा और नफरत का माहौल भी बनाता है। बेशक, हमारे पास भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई कानून हैं, लेकिन कई मामलों में हमें ऐहतियाती कदम उठाने चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार के लिए गुंजाइश बेहद सीमित रहे। इस दिशा में सत्ता का विकेंद्रीकरण एक अहम कदम है। वित्तीय और प्रशासनिक मोर्चे पर स्थानीय संस्थानों को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है ताकि लोगों को अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए इधर-उधर नहीं भागना पड़े। शासन संचालन में अधिकारों का बंटवारा राज्य सरकार से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक होना चाहिए। इस मकसद को पंचायती राज कार्यक्रम के जरिये हासिल किया जाना था, लेकिन योजना को सही ढंग से लागू नहीं किए जाने की वजह से यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। हालांकि, गुजरात के शहर सूरत ने स्थानीय स्वशासन का बेहतरीन उदाहरण पेश किया और वहां की स्थानीय निकाय संस्था ने जिले की विकास संबंधी जरूरतों के लिए स्थानीय स्तर पर ही फंड जुटा लिया। साथ ही, कोयंबटूर जिले (तमिलनाडु) की एक पंचायत ने पवन ऊर्जा का उत्पादन कर अपने गांव की विकास संबंधी जरूरतों पूरा करने के लिए पर्याप्त फंड जुटा लिया। इतना ही नहीं, इस पंचायत के पास इतना फंड इकट्ठा हो गया कि उसने दूसरे पंचायतों को भी मदद मुहैया कराई।

अगर हम लोगों के लिए बेहतर और असरदार ढंग से सरकारी सेवाएं मुहैया कराना चाहते हैं, तो हमें सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर ऐसी कई जरूरी सेवाओं को आउटसोर्स करना होगा। साथ ही, तमाम गतिविधियों पर प्रभावकारी तरीके से निगरानी रखने की जरूरत होगी। इसके बाद, सरकार अतिरिक्त कर्मचारियों को भविष्य की जरूरतों के लिए रख सकती है और इस तरह बिना किसी तरह की छंटनी के शासन व्यवस्था में जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं।

केंद्र और राज्यों के स्तर पर कामकाज के लिए समयसीमा तय की जानी चाहिए। सरकार को लोगों से जुड़ी हर शिकायत के निपटारे के लिए एक निश्चित समयसीमा तय करनी चाहिए, मसलन एक महीना या कुछ और अवधि। अगर तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई नहीं होती है, तो इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से निगरानी भी सुनिश्चित की जा सके। अगर शिकायतों के निपटारे में तय समयसीमा का पालन नहीं होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। हालांकि, अगर देरी की कोई जायज वजह है, तो सजा की बात टाली जाती जा सकती है।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक और अहम क्षेत्र में तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। यह क्षेत्र है: "उच्चस्तरीय पुलिस प्रशासन"। विडंबना यह है कि कानून के पालन में (खास तौर पर कानून-व्यवस्था से संबंधित मामलों में) में आम नागरिक और सरकारी कर्मी, दोनों का प्रदर्शन संतोषजनक नजर नहीं आता। कानून का पालन करने वाली एजेंसियों मसलन पुलिस और बाकी नियामक संस्थाएं के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण भी भ्रष्टाचार फैलता है। हाल में यह ट्रेंड भी उभकर सामने आया है कि जांच प्रक्रिया जारी रहने के दौरान भी जांच एजेंसियां मीडिया से बात करती हैं, ताकि उत्सुक मीडिया को संतुष्ट किया जा सके। दुनियाभर में कहीं भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है, जहां किसी मामले की जांच पूरी हुए बिना जांच एजेंसियां मीडिया से बात करती हैं। भारत में इस तरह के प्रचलन को रोकने की जरूरत है। इसी तरह, पुलिस सुधारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही विभिन्न राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। ये निर्देश खास तौर पर, पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण, पोस्टिंग और तबादले के सिलसिले में मुहैया कराए गए हैं। कानून-व्यवस्था को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के लिए इन सुधारों को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। भारत की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष (स्वर्गीय) पी. ए. संगमा ने कहा था:

*"हमारे यहां की प्रशासन प्रणाली में कई खामियां हैं। हमारे प्रशासन पर राजनीति हावी है और यह लोगों से काफी दूर है। पुलिस बल समेत हमारे पूरे प्रशासन में राजनीति हावी है। लोक सेवाओं के अधिकारियों पर भी राजनीतिक आकाओं का दबाव होता है और राजनीतिक दुश्मनी निपटाने के लिए पुलिस बस का गलत इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इस तरह का प्रचलन काफी आम हो गया है। कानून के शासन के लिहाज से यह ठीक नहीं है। प्रशासन को राजनीति से अलग होना चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ आम जनता और कानून के शासन के प्रति होनी चाहिए।"*

बहरहाल, नौकरशाही यानि लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी अभियान तभी सफल हो सकता है, जब हमारे पास सही जगह पर सही लोग हों। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रिया में जरूरी बदलाव कर इन्हें बेहतर बनाना होगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, *"संविधान हमें क्या दे सकता है, क्या नहीं और देश का हित इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका प्रशासन किस तरह से चलाया जाता है। प्रशासन का संचालन उन लोगों पर निर्भर करेगा जिन पर यह जिम्मेदारी होगी।"* ■